

# राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 3303

दिनांक 20/5/22

## बजट आवंटन आदेश - 8

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या - 8 Wildlife Management Plan (Wildlife Clearance)  
: 1. Parwan Dam Project (Kota Wildlife division) 2. Chambal Bhilwara Pipeline Project at Mukundra National Park, Kota के अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-03-01-12

2406- Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(03)- Integrated Wildlife Management Plan

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

**A.P.O. Item No. 8 : Wildlife Management Plan (Wildlife Clearance)**

(Rs. In Lacs)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	ए.पी.ओ. आईटम संख्या	Activity Name	बजट आवंटन		प्रथम किरत आवंटन
				भौतिक	वित्तीय लक्ष्य	
1	उप वन संरक्षक, वन्य जीव कोटा	Wildlife Management Plan (Wildlife Clearance)	1. Parwan Dam Project : Wildlife kota division	LS.	588.000	435.000
3	उप वन संरक्षक, एम. एन.पी. कोटा		2. Chambal Bhilwara pipeline project at Mukundra National Park, Kota	LS.	300.000	200.000
कुल योग					888.000	635.000

### सामान्य शर्तें:

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14( )ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 आवंटित राशि के उपयोग होने के उपरान्त बकाया राशि प्रदान कर दी जावेगी।
- 3 कैम्पा मद के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य संबंधित वन मण्डल द्वारा प्रेषित ए.पी.ओ. 2022-23 के प्रपोजल में दर्शाये स्थानों अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4 कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित ग्राम सभा/VPFMC/EDC से सहमति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 5 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 6 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 7 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 8 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को गय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 9 आवंटित बजट की राशि का आह्वरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।

- 10 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 11 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 12 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 13 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अघोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 14 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 15 कैम्पा के आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय संपादित किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं में परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- 16 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 17 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

Shruti  
(शिखा मेहरा)  
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 3304-12

दिनांक 20/5/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- वन्य जीव कोटा/वन्य जीव एम.एन.पी. कोटा।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

( आकांक्षा जोशी )  
उप वन संरक्षक (कैम्पा),  
राजस्थान, जयपुर।